

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2062 / 2007 / कोटा

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी

घट-तृतीय, वृत्त-ए, कोटा

अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स सतनाम एस.आनन्द

कोटा

प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित:

श्री अनिल पोखरणा

उप राजकीय अभिभाषक

श्री एम.एल. पाटोदी, अभिभाषक

व ईशु जैन, सी.ए.

अपीलार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 12.02.2016

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय

अपीलार्थी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-तृतीय, वृत्त-ए, कोटा (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा यह अपील उपायुक्त(अपील्स), वाणिज्यिक कर, कोटा (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 122/आरएसटी/2004-05 में पारित आदेश दिनांक 03.04.2007 के विरुद्ध पेश की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान टैक्स ऑन एन्ट्री आफ मोटर व्हीकल इन टू लोकन एरिया अधिनियम, 1989 (जिसे आगे प्रवेश कर अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 3, 6 व 7 सपष्टित राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 29 (7) व 57 के अन्तर्गत पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 06.09.2004 में आरोपित प्रवेश कर रु. 12,662/-, ब्याज रु. 35,380/- एवं शास्ति रु. 31,515/- कुल रु. 2,02,957/- की मांग कायम की है, को अपास्त किया है। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.04.2007 से असन्तुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा मैसर्स एसेट ओटो (इण्डिया) प्रा.लि., 805 द रेबरी भण्डारकर इन्सटीट्यूट रोड, पुणे, महाराष्ट्र के बिल नम्बर 0100355 दिनांक 06.09.2002 से रु. 10,50,516/- का राज्य के बाहर से वाहन क्रय कर परिवहन कार्यालय, कोटा में वाहन के पंजीयन सम्बन्धी दस्तावेज पेश कर दिनांक 13.09.2002 को पंजीकरण करवाकर वाहन संख्या आरजे 20-1सी-2875 प्राप्त किये। प्रवेश कर अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार आयातकर्ता का प्रवेश कर भुगतान करने का दायित्व बनता है। अपीलार्थी आयातकर्ता द्वारा परिवहन विभाग से ना तो ईटी-1 जारी करवाया और ना ही सीमावर्ती चेकपोस्ट पर वाहन प्रवेश करते समय प्रस्तुत किया। उक्त फार्म प्राप्त करना प्रवेश कर अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत अपराध मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने प्रवेश कर अधिनियम की धारा-

3,6, व 7 सपष्टित अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से नियत तिथि पर ना तो कोई उपस्थित हुआ और ना ही नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने वाहन की कीमत रु. 10,50,516/- पर 12 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर रु. 1,26,062/- तथा प्रवेश कर अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत कर राशि की 25 प्रतिशत शास्ति रु. 31,515/- एवं प्रवेश कर अधिनियम की धारा 7 सपष्टित अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत ब्याज रु. 45,380/- कुल रु. 2,02,957/- की मांग सृजित की। उक्त सृजित मांग के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित प्रवेश कर शास्ति एवं ब्याज को अपास्त कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.04.2007 पारित किया, जिससे असन्तुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

कर निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग को इस आधार पर अपास्त किया है कि केजुअल डीलर्स के सम्बन्ध में ट्रांजक्शन की तिथि से 2 वर्ष की अवधि में ही उसका कर निर्धारण किया जा सकता है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा क्य किये गये वाहन का राज्य में प्रवेश दिनांक 07.09.2002 को हुआ और कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 06.09.2004 को आदेश पारित कर मांग सृजित की है, जो समयावधि में ही है, इसलिए अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश अनुचित एवं प्रकरण के तथ्यों के विपरीत है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपीलाधीन आदेश को अपास्त कर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग को बहाल कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने रु. 10,50,516/- में वाहन क्य कर उस पर पूर्ण कर अदा करते हुए स्वयं के उपयोग हेतु क्य किया था। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी का वाहनों कहीं खरीद एवं विक्य कर कोई नियमित कारोबार नहीं होने के कारण वह अधिनियम की धारा 2 के अनुसार व्यवहारी की परिभाषा में नहीं आता है। उनका यह भी कथन है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए किया गया क्य उसको व्यवहारी की श्रेणी में नहीं लाता है, किन्तु सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, घट प्रथम, वृत द्वितीय, कोटा ने प्रत्यर्थी को व्यवहारी मानते हुए आदेश दिनांक 29.08.2003 को आदेश पारित कर प्रवेश कर रु. 1,26,062/-, शास्ति रु. 31,515/- व ब्याज रु. 22,691/- आरोपित करते हुए कुल रु. 1,80,268/- की मांग कायम की, जिसके विरुद्ध

अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित उक्त मांग को अपास्त कर दिया। उनका कथन है कि यदि कर निर्धारण अधिकारी उक्त आदेश से असन्तुष्ट थे तो उक्त आदेश दिनांक 29.08.2003 के विरुद्ध कर बोर्ड में अपील प्रस्तुत कर सकते थे किन्तु हस्तगत प्रकरण में ऐसा नहीं कर करापवचन के अधिकारी ने अभियोग पत्रावली नियमित कर निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित कर दी और नियमित कर निर्धारण अधिकारी ने पूर्व में निर्णित अभियोग दिनांक 21.07.2003 को पुनः 06.09.2004 को कर निर्धारण आदेश पारित कर वाहन की कीमत रु. 10,50,516/- पर 12 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर रु. 1,26,062/- तथा प्रवेश कर अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत कर राशि की 25 प्रतिशत शास्ति रु. 31,515/- एवं प्रवेश कर अधिनियम की धारा 7 सप्तित अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत ब्याज रु. 45,380/- कुल रु. 2,02,957/- की मांग सृजित की, जो नियमों विरुद्ध है। उनका यह भी कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किया गया कर निर्धारण आदेश दिनांक 06.09.2004 कालातीत है क्योंकि केजुअल डीलर्स के समबन्ध में द्राजक्षण की तिथि सेक 2 वर्ष की अवधि में ही उसका कर निर्धारण किया जा सकता है। उनका यह भी कथन है कि अधिनियम की धारा 31 (5) के अन्तर्गत संव्यवहार के दो वर्ष तथा रिपोर्ट के एक वर्ष की अवधि में ही कर निर्धारण आदेश पारित किया जा सकता है और हस्तगत प्रकरण में वाहन की खरीद दिनांक 06.09.2002 को की गई है और विवादित आदेश 06.09.2002 को पारित किया गया है जो कालातीत है क्योंकि आदेश दिनांक 05.09.2004 (दो वर्ष) तक ही पारित किया जा सकता है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा रवी कुमार खुब्बा बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी अपील संख्या 48/98/श्रीगंगानगर (26 टैक्स वर्ल्ड पेज 164) को उधृत कर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन को विधिक बताते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी वाहनों की खरीद बिकी का कोई नियमित कारोबार नहीं होने के कारण वह अधिनियम की धारा 2 के अन्तर्गत व्यवहारी की परिभाषा में नहीं आता है क्योंकि व्यवहारी द्वारा किये गये संव्यवहारों को विक्रय संव्यवहार की श्रेणी में लाने के लिए उक्त व्यवहार का कारोबार चलाने के कम में किया जाना नितान्त आवश्यक है। किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के कारोबार के उपयोग के लिए किया गया क्य उसको व्यवहारी की श्रेणी में नहीं लाता है। अभियोग दिनांक 21.07.2003 बनाया जाकर सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, घट प्रथम, वृत्त द्वितीय, कोटा ने प्रत्यर्थी को व्यवहारी मानते हुए आदेश दिनांक 29.08.03

को आदेश पारित कर प्रवेश कर रु. 1,26,062/-, शास्ति रु. 31,515/- व ब्याज रु. 22,691/-आरोपित करते हुए कुल रु. 1,80,268/- सृजित की गई,उक्त सृजित मांग के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपील संख्या 109/आरएसटी//2003-04 का निस्तारण करते हुए आदेश दिनांक 29.06.2004 पारित कर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर रु. 126062/-,धारा 6 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रु. 31,515/- व ब्याज रु. 22,691/-को अपास्त किया गया है। उक्त आदेश के विरुद्ध कर बोर्ड में अपील प्रस्तुत की जानी चाहिए थी किन्तु अपील प्रस्तुत कर पत्रावली नियमित कर निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित कर दी गई, जिस नियमित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः उसी अभियोग के लिए दोबारा कर निर्धारण आदेश दिनांक 29.08.2003 पारित कर पुनः मांग सृजित की गई है,जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत किये गये अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.04.2007 के द्वारा सृजित मांग को अपास्त किया गया है।

अपीलीय अधिकारी ने उक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए समयावधि समाप्त होने पर दूसरे अधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेश को विधिक संगत नहीं माना है क्योंकि केजुअल डीलर्स के समबन्ध में ट्राजक्शन की तिथि से 2 वर्ष की अवधि में ही उसका कर निर्धारण किया जा सकता है,जिसका आधार उन्होंने कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा रवी कुमार खुब्बा बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी अपील संख्या 48/98/श्रीगंगानगर (26 टैक्स वर्ल्ड पेज 164) के प्रकरण में निर्णय दिनांक 25.06.2001 को बनाया है। उक्त निर्णय के तथ्य हस्तगत प्रकरण के तथ्यों से पूर्णतया मेल खाते है,जिससे हस्तगत अपील पूर्णतया आच्छादित है।

अपीलीय अधिकारी उपरोक्त विवेचित तथ्यों का विस्तृत विवेचन करने के पश्चात अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.04.2007 पारित किया है,जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य इस पीठ के समक्ष नजर नहीं आता है। फलतः कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.04.2007 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया ।

(मुनील शर्मा)
सदस्य